बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 9.8.19

सं0–12/नि0–1001/2019/सा0प्र0–11116/ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन **पे मेट्रिक्स लेवल–9** (रू0 53100–167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ता के रूप में नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम 6 में अंकित जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:–

क0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	मेधा कमांक	आयोग द्वारा आबंटित आरक्षण कोटि	पदस्थापन वाले जिला का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री ललित राही	मधेपुरा	145	05	दरभंगा	1.सक्षम प्राधिकार (D.M. or Auth.ADM) द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र अप्राप्त । 2. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र अप्राप्त। 3.साक्षात्कार का प्रवेश पत्र अप्राप्त ।

(i) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छःमाह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब संबंधित नव नियुक्त पदाधिकारी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

(iii) नव नियुक्त पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा यदि प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कुछ वांछित प्रमाण पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया गया है तो परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ता के पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने के समय वे वांछित प्रमाण पत्र संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष निश्चित रूप से समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

(v) नव नियुक्त अभ्यर्थी को उनका अभिप्रमाणित **फोटो युक्त** नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मूल रूप में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर हीं उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(vi) नव नियुक्त अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगें।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7118 दिनांक 30.05.2018 के साथ संलग्न सूची –"क" में उल्लिखित मूल कोटि में विभिन्न जिलों के लिए चिन्हित वरीय उप समाहर्त्ता के पद एवं वरीय उप समाहर्त्ता तथा समकक्ष स्तर के लिए सृजित **प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद** के विरूद्ध उपर्युक्त अभ्यर्थी को पदस्थापित माना जायेगा।

3. नव नियुक्त अभ्यर्थी को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की **तिथि से 15 दिनों के अन्दर** वे अपना योगदान संबंधित जिला पदाधिकारी को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/8/19

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–12/नि0–1001/2019/सा0प्र0–1116/पटना–15, दिनांक– 9.8.19

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त मुद्रित गजट की 300 (तीन सौ) प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

9/8/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–12/नि0–1001/2019/सा0प्र0–1116/पटना–15, दिनांक– 9.8.19

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री का कोषांग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी तथा सभी प्रशाखा पदाधिकारी (चारित्री कोषांग सहित) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे अपने जिला में पदस्थापित अभ्यर्थी के योगदान की स्वीकृति उपरोक्त शर्त्तों के तहत स्वयं संतुष्ट होकर करेंगे तथा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित स्तम्भ–7 में यथा अंकित वांछित प्रमाण–पत्रों की मूलप्रति से मिलान कर उनकी हस्ताक्षर युक्त अभिप्रमाणित छाया प्रतियॉ प्राप्त कर योगदान प्रतिवेदन के साथ विभाग को भेजने की कृपा

करेंगे। वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. नव नियुक्त पदाधिकारी पदस्थापित जिले में योगदान देने/प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की सूचना प्राप्त होने पर सांस्थिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4. महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बिहार, पटना से अनुरोध है कि सांस्थिक प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार कर विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी को संसूचित करेंगे और तदनुसार उन्हें सांस्थिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा विरमित किया जायेगा।

9/8/19

सरकार के अपर सचिव

स्पीडपोस्ट

हाथो–हाथ ज्ञापांक–12/नि0–1001/2019/सा0प्र0–11116 /पटना–15, दिनांक– 9.8.19

प्रतिलिपि–संबंधित अभ्यर्थी श्री ललित राही, मे0 क्र0–145 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/8/19

सरकार के अपर सचिव

फोटो चिपकाएँ